न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा, आर. ए. एस.)

प्रकरण सख्याः— 15/2011 वाद
दायर दिनांकः— 19/04/2011
निर्णय दिनांकः— 05/03/2020

अनवान

1. छोगालाल पिता सवाईराम जाट निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा (फौत)
1/1. गहरीलाल पिता छोगालाल जाट निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा
1/2. माया पिता छोगालाल जाट निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा
1/3. शान्ता विधवा छोगालाल जाट निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा

वादी

विरूद्ध

1. मुख्य कार्यकारी अभियंता राजस्थान राज्य रोड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन उदयपुर
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग रेलमगरा जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् आदेशात्मक एवं निषेधात्मक स्थायी निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् आदेशात्मक एवं निषेधात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि ग्राम आंजणा तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 775, 777 776 778 है यह कि वाद पत्र की कलम सख्या 01 में अकिंत उक्त जायदाद में से खाता सख्या 72 की आराजीयात मे वादी का सम्पुर्ण हिस्सा है और खाता सख्या 75 व 71 की आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा होकर वादी उस पर कृषि कार्य कर रहा है स्थित निम्न विवरण की आराजियात पर वादी का स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर वह खातेदार है, प्रमाण में संवत् 2067 से 2070 की जमाबंदी प्रस्तुत है। वादी कृषि कार्य कर रहा है, जो उसकी आजिविका का एक मात्र साधन है वाद पत्र की कलम सख्या 01 में अकिंत उक्त जायदाद में से खाता सख्या 72 की आराजीयात मे वादी का सम्पुर्ण हिस्सा है और खाता सख्या 75 व 71 की आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा होकर वादी उस पर कृषि कार्य कर रहा है और निरन्तर, लगातार बिना रोक टोक उसका उपभोग उपयोग कर रहा है फहरिस्त दस्तावेज में अंकित कर वाद पत्र के साथ पेश है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात में अवैध अतिक्रमण कर सडक निर्माण करने की

कोशिश में है और बिना विधिक कार्यवादी अपनाए और बिना वादी को सुचित किये वादी की जमीन में हस्तक्षेप एवं बाधा खडी करने पर आमादा हो रहे है, जिसमें प्रतिवादीगण यदि सफल हो गये तो वादी को अपनी आजिविका के साधन से वंचित होना पडेगा और उसे भुखे मरना पडेगा। यह कि वादी ले अभी इस उक्त भू–भाग पर गेहुं की फसल बोई और काटी तथा वह अगली बुवाई की तैयारी कर रहा है यह कि प्रशासन अपने जोर पर वादी को डरा धमका कर इस उक्त भू–भाग में सडक निकाल देने पर आमादा हो रहा है यह कि इस उक्त जगह पर पूर्व दिशा की ओर पर्याप्त मात्रा में चौडा सडक मार्ग होकर कदीम से डम्बर रोड है जिस पर वाहनो की आवाजाही है, जो सडक मार्ग न तो राजमार्ग है और न राष्ट्रीय राजमार्ग है। उक्त पूर्व दिशा वाला सडक मार्ग जब बना तब भी वादी की जमीन में से उसे व उसके पूर्वाधिकारियों को बिना मुआवजा दिये सडक निकाल दी थी और अब पूनः प्रतिवादीगण सडक निकालने को आमादा हो रहे है जिसका की उन्हें कोई अधिकार नहीं है यह कि वादी की पुरी उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य से नष्ट होने की कगार पर पहुँच जायेगी जिसे वादी ने कडी मेहनत से व लाखो रूपया लगा कर आबाद की है इस उक्त भू–भाग पर जलग्रहण क्षैत्र होकर वादी द्वारा कुंआ भी निर्मित करवाया जिससे प्रतिवादीगण जलग्रहण क्षैत्र में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कोई कार्यवादी कराने के अधिकार नहीं है वादी के विरूद्ध उक्त कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के भी विपरित है। प्रतिवादीगण राजकिय अवकाश हो या कोई त्योहार सभी दिन अनवरत लगातार अधिक से अधिक कारीगण लगा कार्य को अजांम दे रहे हैं और वादी के खेतो के काफी नजदीक आ चुके है और यदि उन्है नहीं रोका गया तो वे वादी को उसके हक से वंचित कर देंगे प्रतिवादीगण कुछ राजनेताओ के प्रभाव में वादी को नुकसान पहुँचाने पर आमादा हो रहे है यह कि वादी के लिये आवश्यक है हो गया है कि वह स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रविवादीगण जारी करवा लेवे अन्यथा उसे अपार अर्पुरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकदी मे सम्भव नहीं होगी परस्पर मुकदमेबाजी बढेगी। यह कि वादी खातेदार है और उसका स्वामित्व एवं आधिपत्य होने से वादी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है और यदि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कोई कार्यवादी वादी के खिलाफ हो गई तो अपूरणीय क्षति भी वादी को ही होगी जिसकी पुर्ति नकदी में सम्भव नहीं होगी जिससे वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह स्थायी निषेधाज्ञा भी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करवा लेवे। अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम सख्या 1 में अकिंत वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की जायदार से वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं करे उसके कब्जेकाश्त में दस्तंदाजी नहीं करे, वादी की भूमि में बिना उसकी अनुमति प्रवेश नहीं करे, न उसकी जमीन में से कोई सडक मार्ग निकालें और न ऐसे कृत्य स्वयं करे और न किसी अन्य से

भी करावें दौराने कार्यवाही वाद प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप कर दे और कोई सडक मार्ग निकाल दे या कोई निर्माण कार्यकर दे तो आदेशात्मक आज्ञप्ति से उसे हटाया जाकर मौके की पूर्ववत् स्थिति कायम कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण का जवाब निम्नानुसार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं साक्ष्य व दस्तावेज द्वारा प्रामाणित करावें। वाद पत्र की कलम संख्या 02 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं साक्ष्य व दस्तावेज द्वारा प्रामाणित करावें वाद पत्र की कलम संख्या 03 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा पुर्व सडक की कब्जे शुदा भुमि में ही सडक का निर्माण कार्य किया जा रहा है वादी ने स्वयं कालम संख्या 06 में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि कादीम से पर्याप्त चौडा मार्ग है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रही है जिससे वादी को अपनी आजिविका के साधन से वंचित होना पडेगा व भुखे मरना पडेगा। वाद पत्र की कलम संख्या 04 अस्वीकार है वादी के जमाबंदी में आराजी संख्या 776 क्षैत्रफल 00.03 है, किस्म खादी – II , आराजी संख्या 775 क्षैत्रफल 01.10 है किंस्म खादी – II , आराजी संख्या 777 क्षैत्रफल 00.02 किस्म मकान आराजी संख्या 778 क्षैत्रफल 00.02 किस्म बीड अंकित है जैसे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उक्त भुमि अंसिचित भू–भाग है। वाद पत्र की कलम संख्या 05 अस्वीकार है प्रतिवादी द्वारा पुर्व कब्जे शुदा सडक भूमि पर ही किया जा रहा है किसी भी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा डराया धमकाया नही गया है। वाद पत्र की कलम संख्या0 6 अस्वीकार है लेकिन विवादीत स्थान पर कादिम से पर्याप्त मात्रा में सडक मार्ग होना स्वीकार है परन्तु यह अस्वीकार है कि वह पुर्व दिशा में है बल्की पुराने सडक पटरी की कब्जे शुदा जमीन पर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। वाद पत्र की कलम संख्या 07 अस्वीकार है वादी को प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से नुकसान नही पहुंचाया जा रहा है कुआं आदि वादी ने निर्मित कराया होता तो निश्चित ही वादी की जमाबंदी में उसका अंकन होता जिससे स्पष्ट कि वादी ने झुठे आधार बनाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है सडक के कब्जे शुदा भुमि में ही निर्माण कार्य किया जा रहा है वादी ने नाजायज लाभ

की गरज से झुठा वाद पत्र पेश किया है। वाद पत्र की कलम संख्या 08–09 अस्वीकार है वादी को किसी प्रकार से ऐसी क्षति नहीं होगी जो अपूर्णीय होगी क्योंकि उक्त विवादीत स्थान पर कादीम से लगभग 15 मीटर चौडाई के अनुसार भूमि सडक की कब्जे शुदा है जबकी प्रतिवादी द्वारा 12 मीटर चौडाई पर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है, यदि प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो जनहीत में किया जा रहा सडक निर्माण का कार्य अवरोधित होगा व समय पर सडक निर्माण अधुरा रहने से सामान्य जनता को आवागमन में भारी असुविधा होगी जिसकी क्षति का आकंलन किया जाना असम्भव है जिससे सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में न होकर प्रतिवादी के पक्ष में जाता है तथा विवादित भु भाग पर कादीम से सडक का कब्जा है जिसे वादी ने भी स्वीकार किया है जिससे वादी के हक में कोई प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। वाद पत्र की कलम संख्या 10 अस्वीकार है वादी के पक्ष में कोई वाद कारण नहीं बनाता है। . प्रतिवादीगण द्वारा सडक की कब्जा शुदा भुमि पर सडक निर्माण करवाया जा रहा है अस्वीकार है। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सडक निर्माण सम्बंधी है वादी को स्वयं की खातेदारी भुमि से बेदखल नहीं किया गया है अतः वाद खारिज फरमाया जावे ।

उक्त दावे एवं जवाब दावे अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी में बिना विधिक कार्यवाही अपनाये अवैध अतिक्रमण कर सडक निर्माण करने के प्रयास में है। जिम्मे वादी
2. आया प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि में पूर्व में वादी को बिना मुआवजा दिये सडक निकाल दी गई। जिम्मे वादी
3. आया वादग्रस्त आराजी में लगभग 15 मीटर चौडाई की भूमि सडक की कब्जेशुदा होकर उसी जगह जनहीत में सडक निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। जिम्में प्रतिवादीगण

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 छोगालाल का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श–01 से लगायत 03 तक, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04 के प्रस्तुत किये गये एवं विपक्षीगण द्वारा जवाब दावे के समर्थन में गवाह डीडब्ल्यू–01 प्रभात कुमार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. तनकी संख्या 01 जिम्मे वादी होकर वादी ने उक्त तनकी के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 छोगालाल का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श–01 से लगायत 03 तक, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04 के प्रस्तुत किये गये किन्तु उक्त दस्तावेजी साक्ष्य केवल मात्र वादी के खातेदारी अधिकारों को ही दर्शातें है जो उक्त तनकी को साबित करने के लिए सक्षम नही है साथ ही स्वयं वादी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि रेलमगरा से फतहनगर जाने हेतु एक मात्र सही सडक रास्ते के रूप में जो पूर्व से बनी हुई है। तथा उक्त सडक से मेरे किसी प्रकार से फसल खराब नही है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहा है जिससे उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।
2. तनकी संख्या 02 जिम्मे वादी होकर तनकी संख्या 01 अुनसार वादी स्वयं ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि रेलमगरा से फतहनगर जाने हेतु एक मात्र सही सडक रास्ते के रूप में जो पूर्व से बनी हुई है। तथा उक्त सडक से मेरे किसी प्रकार से फसल खराब नही है तथा वादग्रस्त भूमि में पूर्व में वादी को बिना मुआवजा दिये सडक निकाल दी गई और वादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही की गयी हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहा है जिससे उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

3. तनकी संख्या 03 जिम्मे प्रतिवादीगण होकर तनकी संख्या 01 व 02 अनुसार स्वयं ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि रेलमगरा से फतहनगर जाने हेतु एक मात्र सही सडक रास्ते के रूप में जो पूर्व से बनी हुई है। तथा उक्त सडक से मेरे किसी प्रकार से फसल खराब नही है तथा वादग्रस्त भूमि में पूर्व में वादी को बिना मुआवजा दिये सडक निकाल दी गई और वादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही की गयी हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी की स्वयं से स्वतः सिद्व होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में निर्मित सडक पर वादग्रस्त आराजी में लगभग 15 मीटर चौडाई की भूमि सडक की कब्जेशुदा होकर उसी जगह जनहीत में सडक निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सिद्व करने में सफल रहे है जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रहा। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7) रेलमगरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 15 / 2011

अनवान

2. छोगालाल पिता सवाईराम जाट निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा (फौत)
1 / 1. गहरीलाल पिता छोगालाल जाट निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा
1 / 2. माया पिता छोगालाल जाट निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा
1 / 3. शान्ता विधवा छोगालाल जाट निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा

वादी

विरूद्ध

4. मुख्य कार्यकारी अभियंता राजस्थान राज्य रोड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन उदयपुर
5. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग रेलमगरा जिला राजसमंद
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद बाबत् , आदेशात्मक एवं निषेधात्मक स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से :–s k Mehta , अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से :– –

में इस आशय मे दिनांक 05 / 03 / 2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रहा। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 05 / 03 / 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा